"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-46/2013/वाक/पांच (58).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-09-2013 से 31-03-2014 तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	सेरामिक तथा विट्रीफाइड टाइल्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक एफ-10-46/2013/वाक/पांच (58).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46/2013/वाक/पांच (58), दिनांक 29-8-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th August 2013

NOTIFICATION

No. F-10-46/2013/CT/V (58).— In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01-09-2013 to 31-03-2014 :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Ceramic and vitrified Tiles	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.